

गृह मंत्रालय

मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संबंध में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य

Posted On: 09 MAR 2017 2:54PM by PIB Delhi

मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में 7 एवं 8 मार्च, 2017 को हुए घटनाक्रम के संबंध में लोकसभा में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दिया गया वक्तव्य -

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 07 मार्च, 2017 को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में जबड़ी रेलवे स्टेशन के नजदीक गाड़ी नम्बर 59320, भोपाल-उन्नैन पेसेंजर के सामान्य कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेलयात्री घायल हुए और रेलवे की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।

उपरोक्त घटना के संबंध में जी आर पी उज्जैन थाने में रेल गार्ड से प्राप्त जानकारी के आधार पर मामले की जांच के लिए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है, जिसकी संख्या 47/17 है।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा घटना की जांच के संबंध में प्राथमिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। घटनास्थल के प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों द्वारा विस्फोट को अंजाम देने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार आई ई डी का उपयोग किया गया था।

घटना की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों के साथ पर्याप्त तालमेल स्थापित किया गया। इसके बाद, प्राप्त सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन जांच के दौरान 03 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उपरोक्त घटना में इनका हाथ होने की आशंका के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संपूर्ण घटनाक्रम की आगे की कार्रवाई केन्द्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई है और विसफोट में शामिल अनय अभियुक्तों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संदिग्धों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ, इटावा, कानपुर और औरया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

लखनऊ में काकोरी थाना के अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराये पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदिग्ध सैफुल्लाह को गिरफ़तार करने के प्रयास किए गए। मगर उसने आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया और एटीएस के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। अंततः लगभग 12 घंटे के प्रयास के बाद एटीएस की टीम ने सैफुल्लाह के कमरे में प्रवेश किया तथा आमने-सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 08 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस सिहत डेढ लाख रूपए नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, 03 मोबाइल फोन, 4 सिमकार्ड, 02 वायरलेस सेट और कुछ विदेशी मुद्रा बरामद किए गए।

घटना के संबंध में थाना लखनऊ स्थित एटीएस पुलिस थाने में अपराध संख्या 2/2017, धारा 307/121ए/122/123/124ए आईपीसी, 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट और 16/18/23 यूएपीए के अंतर्गत मामला दर्ज

एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमउ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदिग्ध को गिरफ़तार किया गया जिसके विरूद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121/121//123/124ए आईपीसी और यूएपीए की धारा 16/18/23/38 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इटावा और औरैया से दो अन्य अभियुक्तों को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ़तार किया गया है। अब तक इस घटनाक्रम में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं।

उपरोक्त घटनाक्रम राज्य पुलिस और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई के चलते देश की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मौजूदा खतरे को टालने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकरण की आगे की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी।

वीके/पीके/659

(Release ID: 1483943) Visitor Counter: 11

f



(2)



in